

डिकरी बमूकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
बइजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या - 233/2016

वादी

1. शिवपाल सिंह पुत्र भैरुसिंह, जाति राजपूत, निवासी भावला, तहसील जायल, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपसिंह पुत्र भैरुसिंह
2. मंजु कंवर पत्नी पृथ्वी सिंह
3. शेरसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह (फौत नाम हटाया)
4. मोनिका पुत्री पृथ्वी सिंह
प्रतिवादी संख्या 4 नाबालिक जरिये संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 2 मंजु कंवर
5. प्रहलादसिंह पुत्र भैरुसिंह
6. राम कंवर पुत्री भैरुसिंह
7. बिशन कंवर पुत्री भैरुसिंह
8. किशन कंवर पुत्री भैरुसिंह
9. मुन्नी कंवर पुत्री भैरुसिंह
सभी जाति राजपूत, निवासीगण भावला, तहसील जायल, जिला नागौर।
10. भैरुसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपूत, निवासी भावला, तहसील जायल, जिला नागौर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. वास्ते घोषणा खातेदारी

दि: 13/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :- मौजा भावला की ख.नं. 252 रकबा 81 बीघा, ख.नं. 251 रकबा 0.02 बीघा तथा ख.नं. 252/368 रकबा 94.15 बीघा में वादी शिवपाल सिंह को 1/9 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 2 व 4 क्रमशः मंजु कंवर व मोनिका का 1/9 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 5 प्रहलाद सिंह का 1/9 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 6 रामकंवर को 1/9 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 7 बिशन कंवर को 1/9 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 8 किशन कंवर को 1/9 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 9 मुन्नीकंवर को 1/9 हिस्सा का, व प्रतिवादी संख्या 10 भैरु सिंह को 1/9 हिस्सा का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ख.नं. 251 व

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

252 एस.बी.आई. है के नाम रहन दर्ज है तथा यदि अब तक रहन मुक्त नहीं हुई है तो रहन यथावत दर्ज रहेगा।
 आज की तारी लीज x मुबलिक x बाबत् x खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर x फीस यदी सालाना ख.तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें।
 सीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/12/2022 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
 सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.)
 जायल जिला नागौर

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायला | रूपये | पैसे |
|---|-------|------|--|-------|------|
| म्प अर्जी दावा म्प वकालतनामा म्प वजह साबूत ताना वकील गवाहन कमीष्जर इजराय हुक्मीजान रिक | | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक | | |

:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये
 या गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
 सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.)
 जायल जिला नागौर